न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी,प्रथम श्रेणी,दाउदनगर
जिला–औरंगाबाद।

हसपुरा थाना कांड संख्या I–51 / 2021

जी0आर0संख्या I–235 / 2021

24–03–21 काराधीन आवेदक अभियुक्तगण ब्रजेश यादव, संजय यादव, सुकेश यादव की ओर से विद्वान अधिवक्ता वकालतनामा एवं फिहरिस्त दस्तावेज प्राथमिकी,केवाला की छाया प्रति के साथ जमानत आवेदन दाखिल करते हैं।

पुकार पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से निवेदन करते हैं कि अभियुक्तगण सदा निर्दोष व्यक्ति है। प्रार्थी अभियुक्तगण इस जमानत पत्र के अलावे किसी भी उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। इस केस के मुदई ने जैसा आरोप लगाया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है बल्कि केस को गंभीर बनाने के उद्देश्य से असत्य मुकदमा किया है। इस केस की सभी धारा जमानतीय प्रकृति का है मात्र 379,354,307 को छोड़कर। इस केस के सूचक ने हसपुरा थाना काण्ड संख्या 68 / 2020 से बचने के लिए एवं हसपुरा थाना काण्ड 52 / 21 से बचने के लिए केस किया है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के खिलाफ भा0दं0वि0 की धारा 147,148,149,341,323,324,379,354,307,504 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि सूचक कृष्णा सिंह फसल देखने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में रोश वाली बात अभियुक्तगण करने लगे और गाली देने लगे मना करने पर दौड़कर गाली देते हुए हाथ में गड़ासा एवं तेजधार वाले खंती से अभियुक्तगण सूचक पर हमला कर दिया । उससे सूचक का सिर फट गया काफी खून बहने लगा । सभी अभियुक्तगण पूर्व से ही जान मारने के संयंत्र रचे हुए थे और अपने–अपने हाथों में डंटा लाठी लेकर गाली देते हुए दौड़कर आये और मारपीट कर अधमुयल कर दिये एवं सभी अभियुक्तगण द्वारा पत्नी को भी मारपीट की गयी । मृत समझकर छोड़ दिया । इसके बाद हल्ला–गुल्ला सुनकर गांव घर के लोग पहुंचे और उसने सूचक को तथा पत्नी को अस्पताल में ले आये और इलाज करवाये। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि पैरा–1,5,6 में सूचक को बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया जो इलाज के लिए वाहर चले गये हैं। वादी का पुनः बयान लिया गया है। जो घटना को समर्थन किया है। साक्षी संख्या–1 युगल कुमार, साक्षी सत्येन्द्र पासवान ने सूचक के घटना का समर्थन किया है। वाद में अनुसंधान जारी है। यह एक गंभीर किस्म का अपराध है।

उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

न्या0दण्डा0,प्रथमश्रेणी
दाउदनगर